संख्या /XII/2007/82(32)/2003

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून.

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2007

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विभिन्न वचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 189/XII/2007/82(32)/2003, दिनांक 30 मार्च, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अन्तर्गत पंचायतीराज निदेशालय अधिष्ठान हेतु कुल रु0 23,96,000.00 (रु0 तेईस लाख छियानब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित वचनबद्ध मानक मदों में व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र. सं.	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में बजट प्राविधान	शासनादेश संख्या 189, दिनांक 30.03.07 के द्वारा अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01–वेतन	1350	484	866
2.	03–महगाई भत्ता	810	254	556
3.	04–यात्रा व्यय	20	18	2
4.	06–अन्य भत्ते	149	59	90
5.	08–कार्यालय व्यय	100	37	63
6.	09–विद्युत देय	18	18	0
7	10–जलकर / जल प्रभार	9	9	0
8.	13–टेलीफोन व्यय	110	37	73
9	15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	300	83	217
10.	17–किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	144	48	96
11	48–महगाई वेतन	675	242	433
	योग	**3685**	**1289**	**2396**

(रु0 तेईस लाख छियानब्बे हजार मात्र)

2 उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

3 उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सापेक्ष धनराशि ही किया जाय ।

4 इस कवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायेगा ।

5 उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी / जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय

क्रमशः 2 पर

6. निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/ प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

7. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 7 वी तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

8 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04 पंचायतीराज निदेशालय अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 599/ XXVII(1)/2006, दिनांक 12 जुलाई, 2007 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव ।

संख्या 436 /XII/07/82(32)/2003 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3 जिलाधिकारी,देहरादून ।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
8 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन,सचिवालय देहरादून ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव ।